

AYES—Contd.

Sinha, Shri Satya Narayan
Sinha, Shrimati Ramdulari
Sinha, Shrimati Tarkeshwari
Sinhasan Singh, Shri
Sivapparghassan, Shri K.U.
Sona vase, Shri
Soundaram Ramechandran,
Shrimati
Soy, Shri H. C.
Srinivasan, Dr. P.
Subbaraman, Shri
Subramanyam, Shri T.
Sumat Prasad, Shri
Surendra Pal Singh, Shri
Surya Prasad, Shri
Swamy, Shri M. N.
Swamy, Shri M. P.

Swaran Singh, Shri
Tantis, Shri Rameshwar
Thomas, Shri A. M.
Tiwary, Shri D. N.
Tiwary, Shri K. N.
Tiwary, Shri R. S.
Tombi, Shri
Tripathi, Shri Krishna Deo
Tula Ram, Shri
Tyagi, Shri
Uikey, Shri
Ulaka, Shri Ramachandra
Vaishya, Shri M. B.
Varma, Shri M. L.
Varma, Shri Ravindra
Veerabassappa, Shri

Veerappa, Shri
Venkaiah, Shri Kolla
Venkatasubbaiah, Shri P.
Verma, Shri K. K.
Vidyalankar, Shri A. N.
Vijaya Ananda, Maharakumar
Vimla Devi, Shrimati
Viashram Prasad, Shri
Vyasa, Shri Radhelal
Wadiwa, Shri
Warior, Shri
Wasnik, Shri Balkrishna
Yadav, Shri Ram Harsh
Yadava, Shri B. P.
Yajnik, Shri
Yusuf, Shri Mohammad

NOES

Bedrudduja, Shri
Basant Kunwari, Shrimati
Bhanu Prakash Singh, Shri
Bhawaini, Shri Lakhmu
Bheel, Shri P. H.
Chaudhary, Shri Y. S.
Deo, Shri P. K.
Gayatri Devi, Shrimati
Ghosh, Shri P. K.
Himmatsinhji, Shri
Kapur Singh, Shri

Karni Singhji, Shri
Kohor Shri
Lahri Singh, Shri
Mahananda, Shri
Masani, Shri M. R.
Prithvi Raj, Shri
Rajyalaxmi, Shrimati
Ram Singh, Shri
Rameahwaranand, Shri
Ranga, Shri

Reddy, Shri Narasimha
Seth, Shri Bishananchander
Shashank Manjari, Shrimati
Shastri, Shri Prakash Vir
Singh, Dr. B. N.
Singha, Shri Y. N.
Singhvi, Dr. L. M.
Solanki, Shri
Vijsya Raj, Shrimati
Yaashpal Singh, Shri

Mr. Speaker: The result of the division is:

Ayes: 318; Noes: 31.

The motion was adopted.

Shri Ranga: We walk out as a protest the failure of the Chief Whip to give the assurance not to issue a whip and the challenge hurled at the peasant masses by the Law Minister.

Shri Ranga and some other hon. Members then left the House.

Shri A. K. Sen: Sir, I introduce the Bill.

12.56 hrs.

SLUM AREAS (IMPROVEMENT AND CLEARANCE) AMENDMENT BILL—contd.

Mr. Speaker: The House will take up further consideration of the following motion moved by Shri Mehr

Chand Khanna on the 6th May, 1964, namely:—

“That the Bill to amend the Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1956, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration.”

Shri Balmiki was on his legs. He may continue his speech

श्रीबाल्मीकी (खुर्जा) : मैं पिछले सत्र में गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा सफाई) संशोधन बिल के सम्बन्ध में बोलते हुए कह रहा था कि देश में औद्योगीकरण के साथ साथ गन्दी बस्तियों में भी वृद्धि हो रही है और यह वृद्धि इतनी तेजी से हो रही है कि वह रोकें नहीं रोकी जा रही है। तत्काल इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। लाखों ऐसे भाग्यहीन मनुष्य हैं जिनके लिए घन, धरती और रोजगार का प्रबन्ध नहीं है। विशेषकर उन लोगों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और गन्दी बस्तियों में घा कर बस जाते हैं और गन्दी वातावरण में रहते हैं

तीन योजनाओं के पश्चात् भी ग्रामीण जीवन में औद्योगिक विकास नहीं हो सका है और न ही कोई उधर चमत्कार उत्पन्न हो सका है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, धंधों के, जीवन यापन के, नित्य-प्रति की रोजी के कोई अच्छे साधन नहीं पैदा किये गये हैं। व साधन जो किसी प्रकार से नगरों में उपलब्ध हैं व वहां उपलब्ध नहीं हैं। मुश्किल यह है कि तीन योजनाओं के पश्चात् नित्य-प्रति की रोजी जो कम से कम तीन रुपये हो सकती थी, वह भी नहीं हुई है। यदि उधर प्रयत्न किया जाता और ग्रामीण क्षेत्रों में उनको उन्हीं स्थानों पर आकर्षण देकर रोकने का प्रयत्न किया जाता तो आज यहां दिल्ली नगर के अन्दर ही नहीं बल्कि देश के अनेक दूसरे नगरों के अन्दर भी जैसे बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, नागपुर इत्यादि में जो इस तरह की बस्तियों में वृद्धि हो रही है, वह न होती। छोटे उद्योग-धन्धे व रोजगार, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के अनेकों वायदे किये गये हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वे भी न के बराबर ही बढ़े हैं। डिस्पेंसल आफ इंडस्ट्रीज की बात का उल्लेख तीसरी योजना में किया गया है। इधर यह कहा गया है कि जहां बहुत से उद्योग हैं उन को वहां से उखाड़ कर ऐसे क्षेत्रों में ले जाया जायेगा, लेकिन इधर भी ध्यान नहीं दिया गया है। मैं समझता हूं कि ग्रामों में जब तक इन भाग्यहीन भाइयों को रोकते का प्रयत्न, वहां पर उद्योग दे कर, रोजगार और धन्धे दे कर, छोटे उद्योग और अन्य प्रकार के जीवन यापन के साधन दे कर, नहीं किया जायेगा तब तक यह बस्तियां इसी प्रकार बढ़ती रहेंगी। यह बस्तियां जिस तेजी से बढ़ रही हैं, मैं समझता हूं वह एक विकट काम है। वैसे प्रयत्न तो किया जाता है, लेकिन उदासीनता से किया जाता है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की बस्तियों की वृद्धि यहां पर न हो। लेकिन इस बिल के द्वारा भी यह बात पूरी हो सकेगी, इस में मुझे सन्देह है।

13 hrs.

इस बिल को दिल्ली तक ही सीमित न रख कर सारे देश के लिये एक व्यापक और विस्तार का बिल लाया जाये जिससे उसका व्यापक प्रभाव हो सके। आज सारे देश के अन्दर गन्दी बस्तियों में रहने वाले भाइयों को विशेष सुविधायें देते का सवाल है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस बिल के द्वारा इन बस्तियों में सुधार और सफाई का काम हो सकेगा और वहां के रहते वालों के कल्याण के लिये प्रयत्न किया जायेगा लेकिन मुश्किल यह है कि उन लोगों के लिये जीवन-यापन के और साधन न देकर इस प्रकार उन्हें मजबूर किया जाता है कि वे भाई जो भूमिहीन हैं, जो ग्रामों से आते हैं, वे यहां भी गन्दी बस्तियों के अन्दर, गन्दे कटरों के अन्दर, गन्दी जगहों के अन्दर ही रहें। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप इधर ध्यान दे रहे हैं कि किसी प्रकार से इन कामों में सुधार कर के, वहां की सफाई पद्धति में सुधार कर के, वहां दूसरे छोटे मोटे तामीर के काम आरम्भ करके, इस काम को किया जाये, लेकिन इसकी सफलता में भी मुझे सन्देह है। जो भाई इस तरह से कष्ट उठाते आये हैं उनके लिये, विशेषकर जब हम वायदा करते हैं कि हम समाजवाद के मानने वाले हैं, समाजवाद हमारा आधार है, जीवन-यापन के साधन उत्पन्न करने के साथ साथ हमें उनके आवास का प्रबन्ध करना चाहिये, विशेषकर उन लोगों के लिये जो धनहीन हैं, भूमिहीन हैं, सम्पत्तिहीन हैं या रोजगारहीन हैं।

अभी दस या ग्यारह दिन पहले मैं दक्षिण के कुछ भागों में, विशेषकर मैसूर क्षेत्र में घूम कर आया हूं। सभी जगह इस तरह के लोग हैं जिन का जीवन देखते में बुझा हुआ प्रतीत होता है और वे गन्दी बस्तियों में रहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन लोगों को विशेषकर छोटे छोटे जमीनो के टुकड़े रहने के लिये देने का प्रबन्ध किया जाये।

[श्री बाल्मीकी]

वैसे प्रसन्नता की बात है कि हमारे मैसूर राज्य ने कुछ प्रयत्न किया है इस तरह के लोगों को जमीन देने का। वैसे हम ने गन्दी बस्तियों के बारे में विचार करते हुए, चाहे वह मंत्रियों का सम्मेलन हो या आवास मंत्रियों का सम्मेलन हो यह माना है कि गन्दी बस्तियों में रहने वाले भाइयों में से जितनों को हम वहां बसा सकते हैं वहां बसायेंगे, बाकी को वहां से उखाड़ कर दूसरी जगह बसाने का प्रबन्ध करेंगे, और वह काम एक तरीके से चलता है, किन्तु गति अत्यन्त धीमी है।

विशेषकर बड़े नगरों के अन्दर जो स्क्वैड काम करते हैं मकान गिराने वाले, व बम्बई में हैं, दिल्ली में हैं, कलकत्ते में भी हैं, वे जिस बेरहमी से काम करते हैं और मकान गिराते हैं उससे दुःख होता है। अभी चार दिन पहले मैं ने बम्बई में पेपर्स में पढ़ा और दूसरे अधिकारियों से भी बातचीत हुई तो पता चला कि वहां पर एक विशेष मकान गिराने वाला स्क्वैड खड़ा किया गया है जो केवल एक विशेष नम्बर घुमाने पर आयेगा और गन्दी बस्ती का सफाया कर देगा। मैं इस स्क्वैड की, इस प्रतिक्रियावादी तरीके की निन्दा करता हूँ और इसलिये निन्दा करता हूँ कि जो सरकार समाजवाद के आधार पर चलने वाली है, समाजवाद के आधार को मानती है उसके लिये इम वायदे को निभाना आवश्यक है कि उसे उन लोगों के लिये भूमि का प्रबन्ध करना है, उन को रहने के लिये आवास का स्थान देना है। मैं यह जरूर चाहता हूँ कि उन लोगों को उसी स्थान पर बसाया जाये। ऐसे प्रयत्न चले हैं किन्तु दुःख का विषय है कि ऐसे काम करने वालों को, चाहे वे सफाई पेशा भाई हों या दूसरे हों, दस मील दूर, पन्द्रह मील दूर की बस्तियों में बसाया जाता है। उन को ऐसे स्थानों में बसाया जाता है जहां जीवन के साधन नहीं हैं, रोजगार के साधन नहीं हैं। वे लोग वहां पर नहीं रह सकते हैं। इधर ध्यान देने की

आवश्यकता है। यह बात रुकेगी, लेकिन अभी तो हो रही है।

मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे आप का ध्यान आकर्षित करने के लिये आन्दोलन यहां दिल्ली में हुआ था, हमारे देहात के कुछ भाई आये थे, और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था कि हरिजनों को विशेषकर सफाई पेशा भाइयों को, गरीब गुर्बा लोगों को आवास के लिये जमीन देने का प्रबन्ध किया जाये, उन के लिये इस तरह का प्रबन्ध किया जाये, उन के जीवन को ठीक प्रकार से सुलभ बनाने की चेष्टा की जाये।

मुझे विशेषकर इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि इस बात की ओर ध्यान दिया गया है। इन गन्दी बस्तियों में, हालांकि वे नाम से ही गन्दी बस्तियां हैं, लेकिन वहां सफाई की जो पद्धति है अत्यन्त गन्दी है। यहां दिल्ली में ही, जिस के बारे में यह विधेयक है, गन्दी बस्तियों में पाखाने इस तरह के हैं। वहां पर कूड़े के ढेर लग हुए हैं और मालूम होता है कि वहां सफाई होती ही नहीं है। इधर ध्यान देने की जरूरत है। आप इस के लिये मालिक मकान को किसी तरह से मजबूर करना चाहते हैं कि वह इधर कुछ ध्यान दे। हमारी स्वायत्त संस्थाये, विशेषकर कारपोरेशन आदि, खास कर दिल्ली में, उनकी ओर से मलकानी कमेटी की सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया गया है। यहां का काम बड़े गन्दे ढंग से, बड़े धिनोने ढंग से किया जाता है। पाखाने भी बहुत पुराने हैं। यह भी कहा गया है कि उन को ड्राइ टाइप से वेट टाइप का बनाया जायेगा, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन बस्तियों में आप का प्रबन्ध है, जैसे कि चाणक्यपुरी है, वहां पाखाने सैनिटरी टाइप के हैं, सैटिक टैंक टाइप के हैं, लेकिन फिर भी पानी के प्रबन्ध के न होने के कारण और दूसरे सफाई के प्रबन्ध न होने के कारण वहां पाखाना

ज्यों का त्यों बढ़ा रहता है और उन की सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर भ्राप का प्रबन्ध है, जहाँ पर भ्राप की अपनी बस्तियाँ हैं, वहाँ भी काम अच्छी तरह से नहीं हो रहा है इसलिये इस ओर माननीय मंत्री जी विशेष ध्यान दें।

जहाँ तक पुरानी दिल्ली का सम्बन्ध है, जिन गन्दी बस्तियों में हमारे भाई रहते हैं वहाँ बहुत गन्दे ढंग से काम चलता है। यह केवल इसलिये है कि ज्यादातर बस्तियाँ वहाँ सीवरड एरियाज के अन्दर हैं, जहाँ पर सीवर हैं, लेकिन कनेक्शन के लिये कम्प्लेशन नहीं है। जहाँ जहाँ पर सीवर हों वहाँ कम्प्लेशन कर के कनेक्शन देने की आवश्यकता है। जहाँ पर सीवर नहीं हैं वहाँ पर रिसेप्टेकल टाइप लैट्रिन्स इंट्रोड्यूस किये जा सकते हैं, बकेट्स व सक्केपर वगैरह दिये जा सकते हैं, ह्वील वरो इंट्रोड्यूस कर के काम को सुलभ बनाया जा सकता है।

जहाँ तक गन्दी बस्तियों का सम्बन्ध है, हमारी गन्दी बस्तियों का जब भी प्रश्न आता है, हमारे भंगी भाइयों की बस्तियों का प्रश्न भी उस के साथ है। मंत्री जी स्वयम् जानते हैं कि जब भी भ्रावास मंत्रियों के सम्मेलन में यह बात चली है तो कहा गया है कि विशेषकर जिन बस्तियों के अन्दर हमारे बाल्मीकी भाई, भंगी भाई, सफाई पेशा भाई, रहते हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा और उन को ऐसे प्लाट्स दिये जायेंगे जहाँ पर वे प्रिडामिनेन्टली रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। यह बात पेपर पर जरूर है लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता है। मैं भ्रापका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जहाँ पर हमारे भाई विशेष संख्या में रहते हैं वहाँ पर उन को सुविधायें दी जायें और उन को विशेष ढंग से वहाँ पर बसाने की चेष्टा की जाये। ऐसे बड़े शहरों में जहाँ पर वे जमीन नहीं खरीद सकते हैं, वहाँ पर जो कोई भ्रावा-

रिटी, कारपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी या इस तरह की कोई और स्वायत्त संस्था हो, वह उनके लिये जमीन का प्रबन्ध करे। मुझे इसमें शक है इस ओर कितना ध्यान दिया जायेगा। इसलिए मैं इस ओर भ्राप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

भ्राप ने कहा है कि इन कामों को करने के लिये मकान मालिक इस ओर ध्यान देंगे और उन को ऐसा करने के लिए मजबूर किया जायेगा। मैं चाहता हूँ कि इन गन्दी बस्तियों के पुनर्विकास और सुधार का काम सरकार अपने हाथ में ले। जहाँ तक मकान मालिकों का सम्बन्ध है उनकी इस काम में रुचि नहीं है। उनका ऐसे किरायेदारों से और विशेष कर कम आमदनी वाले किरायेदारों से किराये का ही सम्बन्ध है। वे विशेष रूप से किराया बढ़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं और उनकी कोशिश पगड़ी वसूल करने की रहती है। बम्बई में एक मामूली मजदूर से बात करने में मुझे मालूम हुआ कि जिस कोठरी का किराया १५ या २० रुपया है उसके लिए कम से कम २००० और ज्यादा से ज्यादा ५००० रुपये की पगड़ी देनी पड़ती है। और दिल्ली में भी यह पगड़ी छोटे रूप में चलती जरूर है। माननीय मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह स्थिति बड़ी विकट है और इस ओर सरकार को कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि यह पगड़ी का व्यापार समाप्त हो सके।

मैं चाहता हूँ कि इन बस्तियों में सुधार और तामीर का काम चले। लेकिन इस बिल में यह नहीं बताया गया है कि उन भाइयों को हटा कर कहां किस स्थान पर ले जाया जायेगा। न इसमें यह बताया गया है कि इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी या मकान मालिक की। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि कमजोर कमजोर ही रहता है। चाहे छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर गिरे, नुकसान खरबूजे का ही होता है। ये गन्दी बस्तियों में रहने वाले भाई

[श्री बाल्मीकी]

सदियों से निर्बल रहते चले आये हैं। मैं जानता हूँ कि मंत्री जी के हृदय में उनके लिए समबदना है और व सहृदयता से उनके प्रश्न पर विचार करते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि इन लोगों को हटा कर अल्टरनेटिव एकोमोडेशन देश में सब जगह नहीं दी जाती है। उनको कई स्थानों पर जबरदस्ती उठाकर फेंका जाता है जैसे कि अरुणा नगर में और अन्य नगरों में हुआ है। मैं चाहता हूँ कि सरकार ऐसा प्रबन्ध करे कि इन गन्दी बस्तियों में रहने वाले भाइयों के मस्तिष्क में इस बात का सन्देह नहीं रहना चाहिए कि उनको हटाकर अल्टरनेटिव एकोमोडेशन नहीं दी जायेगी। आप ने इस बारे में जो वायदा किया है वह सारे देश में पूरा होना चाहिए।

मैं समझता हूँ कि इस कानून के अधीन उन बस्तियों में कुछ नालियाँ और खरजे आदि बनाये जायेंगे। लेकिन इसके लिए भी वहाँ से लोगों को हटना पड़ेगा। इस में उन लोगों की दिक्कतें बढ़ेंगी जैसी कि पहले भी बढ़ चुकी हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस काम को सरकार मकान मालिकों पर न छोड़ कर खुद अपने हाथ में ले और उस कार्य को अच्छे तरीके से करे।

मैं यह चाहूँगा कि आप इस बिल का ऐसा व्यापक रूप बनावें कि वह केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि सारे देश में लागू हो और इस काम के सिलसिले में इन बस्तियों में रहने वालों को कोई दिक्कत न हो। यदि इस तरफ आप ने ध्यान दिया तो यह एक बड़ा काम होगा।

जैसा कि आप का ध्यान आकर्षित किया गया है, दिल्ली में जो प्लाट बंटे हैं वे खास लोगों को मिले हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि इन जमीनों पर गरीब लोग और सफाई पेशा लोग

तीस-तीस और चालीस-चालीस सालों से रह रहे हैं। यदि उनको हटाया जाता है तो उनको दिक्कत न हो यह मैं चाहता हूँ। यह ठीक है कि इस बारे में काम्पटेंट आथॉरिटी को अधिकार हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि व्यापक रूप से उसके हाथ मजबूत किये जाने चाहिए, और जिस तरह सरकार इन लोगों को हटाने में मदद करती है, उसी तरह इनको दूसरी जगह बसाने में और फिर उनको दोबारा उसी अपनी पहली जगह पर बसाने में मदद करे। मुझे शक है कि इस काम में गरीब लोगों को दिक्कत होगी। मैं चाहूँगा कि इन प्लाटों का वितरण करते समय इन लोगों के साथ न्याय किया जावेगा। यह प्रश्न केवल दिल्ली में ही नहीं है, दूसरे नगरों में भी है। झुग्गी झोंपड़ियों के साथ भी यह प्रश्न चलता है। जितने लोगों को वहीं बसाया जा सकता है बसाया जाये और बाकी लोगो को भी उनके काम के स्थान से बहुत दूर न ले जाया जाये बल्कि वहीं करीब बसाया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे सुझावों की ओर मंत्री महोदय ध्यान देंगे और ऐसा कानून बनायेंगे जिसका असर सारे देश पर होगा। इस बारे में सरकार की नीति कमजोर नहीं होनी चाहिए। इन लोगों के लिए तो सरकार की दृढ़ नीति होनी चाहिए जिससे इन गन्दी बस्तियों में रहने वालों के हितों की रक्षा हो सके और उनके आवास का उचित प्रबन्ध हो सके।

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur):
Mr. Speaker, Sir, I welcome this Bill. It is a Bill with broad socio-economic objectives. It is a very very human Bill. I would say that this Bill contains many humanitarian overtones and undertones. I am glad that this Amending Bill has been brought forward to correct the bottlenecks that have been found in the original Bill.

There are two observations which I wish to offer on this Bill. My first observation is this. These slums are not to be found only in big cities whose names have been reeled off by some of my hon. friends, namely, Delhi, Nagpur, Raipur, Calcutta, Bombay, etc. These areas are the worst slum areas. They are a disgrace to urban life and a disgrace to the conditions of human living in any part of the world. But those of us like you, Sir, who have fought the election and who have visited not only big cities and small towns, but also villages, will be convinced of the fact that slums exist even in villages where you will find 50 or 60 families living. Slums are a remainder of the inequalities which exist in our country and those are to be found not only in big cities but also in villages and big towns and small towns.

Now, are we going to stop this problem by bringing forward this Bill? Perhaps this Bill may be an indicator of the way in which we should work. It may show the path. It may be a kind of pioneering attempt. But I would say that this Bill should proliferate and multiply. This Bill should be the parent of Bills which are going to be passed by our legislative assemblies in this country and also which are to be made use of by our newly sprung towns and in those panchayat areas where the Panchayati system works.

So, I would submit very humbly and respectfully to the hon. Minister that he should, after this Bill has been passed, circulate it to all the State Governments and ask them to pass similar Bills. So far as the big cities are concerned, the Central Ministry should also formulate the model Bill and offer suggestions for this purpose. That is something not only for cities which have a population of 3 lakhs and more but should also be meant for towns which have a population from 25,000 upwards. At the same time, the attention of the zilla parishads, block samities and

panchayats should be drawn to the sub-human standard of living which goes with living in these slum areas. That is my first point.

My second point is this. Our Government is a very generous Government, a very charitable Government and a very tender-hearted Government.

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur): And a tender-hearted Minister.

Shri D. C. Sharma: Unfortunately, when it comes to dealing with men of property, men of wealth, men of means, and men of substance.....

Shri Sham Lal Saraf (Nominated-Jammu and Kashmir): And men of position.

Shri D. C. Sharma: ...our Government becomes a Government of 'do-gooders'—I can use that word, which is a very good word now. But when it comes to dealing with people who have come from East Pakistan and do some kind of violation of rules or when it comes to dealing with persons who are dispossessed or who are living in sub-human conditions, our Government at that time show their might. I think that it should be the other way round. The tenderness of the Government should be extended to those persons, to the unfortunate specimens of humanity living in my country, and the might should be reserved for those persons who are becoming richer and richer every day, who keep three types of ledgers, who conceal their income and who evade the taxes. Our Government have no power to lay their hands on those persons; they are thriving, they are flourishing and they are going from strength to strength. But what is the position in regard to these slum-dwellers? What have our Government done for them?

The hon. Minister is one of the noblest men I have seen in my life.

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): What is wrong with me?

Shri D. C. Sharma: I am proud of being known to him. Of course, he would not call me as his friend. But I want to ask of him one question. Why does he not want the Government to make the first move, or the second but only the third move? I would say that all these bastis, all these *katras* and all these slums should be taken over by Government straightway. Of course, our Constitution provides that we should give them compensation. We should give them compensation and take over all these slums and other places and build houses on them, or tenements on them—you may call them by any name you like—and then give these slum-dwellers the right to live there. I want Government to become a landlord, and a landlord of a generous, noble and humane kind.

An hon. Member: Not a landlord in the sense in which Shri Ranga wants.

Shri D. C. Sharma: And I want Government to do away with these land-racketeers, and to do away with those persons who have been making ill-gotten money out of the sufferings and needs, and I should say, also the helplessness of these slum-dwellers. What does the hon. Minister say in regard to this matter?

He says that the owner will be asked to develop the land and improve the land, and he will be asked to do all these things. If he does not do so, then after some time, the land will be taken over, and he will be paid some kind of compensation. I do not understand which landlord is there who will let go this golden goose which gives him money with no end.

Therefore, I would say that judging by the socialist pattern of society and by the socialist principles which we hold dear, Government should come forward with a measure to the effect that all these basti should be taken over by Government and should be developed by Government.

13.28 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

The third point that I want to make is this. I take it for granted that this Bill will be passed as it is. Perhaps, some time may elapse before by suggestions will bear fruit and some dynamic person will come forward to take over these lands. But till that happens, I think this Bill will be passed and it will be put into operation. The problem here is this. Here is a landlord who wants to develop this piece of land; he wants to improve it, and the kind of improvement which he can introduce has been very well enumerated in this Bill. I would like to ask how the rights of the tenants are going to be protected. If my hon. friend tells me that the competent authority is there to protect his rights and that the Administrator is there to see to it that the tenant will not suffer, I would say, without being disrespectful to any civil authority in this country, that that is a very poor safeguard for the rights of the tenants. Why is it that our land legislation is not being implemented fully? It is because most of the persons who have to administer this land legislation are themselves landlords. So, so far as these poor people are concerned, do you mean to say that these competent authorities, or these white-collared gentlemen—some of them are very good; I do not deny that they are good—are going to have any compassion in their hearts for these poor slum-dwellers? Will they ever go near them? Will they ever shake hands with them? Will they ever like to visit those places? Certainly not. Therefore, the problem of eviction will not be solved by entrusting it to these big officers of ours for whom I have a great deal of respect.

So far as the problem of eviction is concerned, I would suggest that in every basti and in every *katra* or slum, Government should constitute a committee of social welfare workers. That committee should be the

guardian and the sentinel of the rights of these slum-dwellers. Justice is a good thing, and our country is known for its justice. But you must also know that the administration of justice does make some difference between a rich man and a poor man. It is not always that the poor man wins against a rich man. Therefore, I would say that proper and unshakable safeguards must be provided to these persons for not being evicted from their places.

Another point that I want to make is this. Now, there are certain things which have to be taken note of for the purposes of giving some right to these persons. May I submit very respectfully that in this Bill there should be some provision by which a slum-dweller can also become the proprietor of the tenement or house which he is occupying. Of course, I do not think that the hon. Minister will be able to change this Bill in accordance with my suggestion. But he may bring forward some other Bill at some other time incorporating this provision. Of course, you have given this right to the low-income group people; you have given this right to the middle-income group people; you have given this right to the high-income group people also because they can build their houses by taking loans. After paying those loans in easy instalments they can become masters of the houses. Why should these slum-dwellers alone remain always tenants? Why should they not be placed in the position of low-income group people? I would very respectfully submit that, if possible, you will kindly introduce it in the rules so that a slum-dweller may be able to own the house after some time, after repaying the loan in instalments. It does not matter whether the house is owned by an owner or by the Government. Something of that kind should be done to these people. To be a slum-dweller is not the result of one's karma in the past life or in this life. Hindu philosophy teaches us to transcend

our karma. If I have committed sins in my past life, Lord Krishna says that I can overcome these sins and social defects. Therefore, once a slum-dweller should not always be a slum-dweller. I hope the hon. Minister who is a very ingenious and experienced person in these matters will be able to bring this about in the case of the ownership of lands.

I must say that it is not only the slum-dwellers who are there; there are also, what are called, the *jhuggi* and *jhompri walas*. I must submit very respectfully that the hon. Minister has taken note of their needs also. Provision has been made for the construction of 50,000 dwelling units. Those units are to be divided into three classes—those for Government servants and employees of local bodies, for migrating labour, and for others who do not come under these categories. Each one of them is given a proportionate piece of land in order to build. For this, it is believed that about Rs. 6 crores will be required and central assistance will be available to the extent of Rs. 4 crores. This is all very good. I hope that the rehabilitation of these *jhompri* and *Jhuggi* dwellers will also go hand in hand with and will be part of the general plan. I will take only two more minutes and I will finish.

There are certain slums of which we know a lot. But there are certain places which are called *katras* and *bastis*. They are also slums of a kind. I would say that some plan should be drawn up for the improvement of these *katras* and *bastis*.

My last point is this. We are having in our country, what we may call, rural industrialisation so that people do not migrate from villages to cities, so that villages become self-sufficient in terms of employment potential for agriculturists and non-agriculturists. I would say that so far as these slum areas are concerned, they should be provided with all those amenities which are necessary. If necessary,

[Shri D. C. Sharma]

they should be given a school; they should be given a dispensary; they should be given a panchayat and they should be given a children's park. They should be given all those things which are given to other areas. They should be given a market also. If necessary, it should be seen to it that there is some kind of rural industrialisation scheme put into operation. In other words, we should not think of slum-dwellers only in terms of tenements. We should bring a comprehensive approach to bear upon their problem. We should not only solve their problem of housing, but also education, sanitation, employment, and all other problems. I am sure that the hon. Minister who has gone to take his lunch will look into all these things and will try to give the slum-dwellers, the dwellers of *katras* and *basti* and *jhuggies* and *jhompri* a new hope and new incentive and a new stimulus for a better and happier life.

Shri Muthu Gounder (Tiruppattur): Mr. Deputy-Speaker, as per the latest survey conducted to find out the number of persons living in slums and as squatters, it is understood that about 50,000 families are living in slums and 70,000 as squatters. Thus, we are having in Delhi 1,20,000 families without proper housing. On the basis of five members in a family, the figure comes to about 6,00,000. Delhi has a population of 2,27,00,000 and out of that, one-fourth is living in slums or on some grounds as squatters. Government want to provide shelter and housing facilities for about 5 lakhs of people at a cost of Rs. 10 crores. But you can solve the problem only by checking further influx of migrating labour. Labourers from rural areas, not only from the adjoining States, but also from the Southern States like Madras are pouring into Delhi, Bombay and other cities. Unless you find out ways and means to check this population of migrating labour, you cannot solve the problem. By the time you provide

shelter for these five lakhs, another five lakhs will have come. In every tram coming from Madras there are at least about 25 persons who come to Delhi for various jobs. Thus about 10,000 people have come from Madras to settle down in Delhi. Out of these 10,000, most of them come from my own district. I have contacted some of them who are living in these *jhuggis* and *jhompri*. Many of them, I can say, even own a bit of land in my district or good houses, but they are living in slums here. I asked them why they prefer to come to Delhi, and why they want to live in these slums. They say they are able to earn daily Rs. 7, whereas they are not able to earn more than Rs. 2 by doing agricultural labour. In Salem or other districts of Madras State, you cannot say that there is no employment. Actually, agriculture is suffering a lot for want of labourers, but agriculture is not so much remunerative as to give them wages beyond Rs. 2, whereas in Delhi, they simply do some household work, they clean some vessels or household utensils, by which they are able to earn daily Rs. 5. A family of five members is able to save Rs. 150 per month, and they send that money to their homes. They are earning good wealth by doing such small work here.

They want to live only in the slums. I suggested to them to go to some quarters or buildings constructed by the municipality somewhere around the city. They say they cannot go because they are doing only household work, cleaning utensils etc., and therefore they have to be in the midst of the city only, in the centre of some colony like Vinay Nagar or Karol Bagh, and they cannot go beyond these places of employment. Therefore, by providing housing facilities for these labourers who are now living in slums, you will not be able to take them there, because they will find out some means or other to be only among these residential colonies, and therefore, unless we see to it that the population of Delhi does not increase, we will not be able to solve the problem.

The population of Delhi is increasing year by year by one lakh, and in direct proportion to the increase of population in Delhi, there is an increase in population in the slum areas, because in Delhi people are making cheap money very easily. People are able to pay a servant Rs. 30 to Rs. 40 a month for working for only one or two hours daily. In the rural areas, we are not able to give that much. Therefore, instead of having all these Central Government offices in Delhi, Government should shift many of them to towns in the South like Hyderabad, Bangalore or Madras, or even smaller towns.

Also, there is always a tendency to start industries, heavy, medium and light, in and around Delhi. Industries like making radios, cycles and small engineering goods are thriving, and therefore the population is also increasing. Officers are coming in good numbers and officers are also always expanding, and therefore, there is increase in the population. That is why they require so many household servants.

In foreign countries who find that even upper middle class people are not engaging servants for household purposes, or as drivers. In America, it is said, that even a big man earning thousands of rupees per month, is not able to have a servant, whereas here, a person earning Rs. 500 is able to have two or three servants, a servant to carry his bag, one to clean his vessels, and another for anything else. There is such a mentality, and this always invites many poor people from the South to go over to Delhi.

Not only to Delhi, but to Bombay also people from our State are rushing like anything, but there they have got other attractions. People especially from my district are very capable in illicit distillation of arrac or liquor. So, the Salem people have gone to Bombay in thousands, not one or two; there are about 20,000 and their only occupation or chief occupation is distillation of this arrac or country liquor.

It is a very good business, they are able to save monthly Rs. 500, because this is the only cottage industry which is thriving very well in India on account of prohibition. In many parts of South India also, this is the biggest cottage industry which is giving occupation for several thousands of people, because they are masters of that art. They have come and settled in Bombay. It is nothing of a secret. The Tek Chand Committee Report says that many of these people especially from Salem District, are engaged in this business.

So, we should make town life less attractive, and rural life more attractive, but how to do it? The agriculturist should be in a position to give a decent wage. We are not able to get a remunerative income out of agriculture, and that is why we are not able to give as much as the town people. A trader or a businessman or a so-called industrialist or a speculator is able to earn thousands and thousands of rupees per month in cities like Delhi, Bombay and Calcutta. Therefore, he wants to engage many servants. Almost all agricultural labourers have taken to migrating to cities like Delhi, Bombay and Madras. Therefore, by providing housing facilities to a few thousand families, we are not going to solve this problem. I can assure you that from Madras State, 10,000 people will be coming every year. It is not possible to obstruct them. Therefore, make Delhi, Bombay, Calcutta less attractive for people coming from the rural areas. That is the only way in which we can solve the problem.

Not only in Delhi, but also in many State capitals, this is the problem. In Madras also, there are so many slums, but you are not very liberal in giving funds to Madras City to fight out and improve these slums or construct new buildings. You are liberal in improving slums in Delhi. We are glad. That is also a duty of the Government, for which they are now prepared to spend Rs. 10 crores. So far, we are glad, but providing these facilities will

[Shri Muthu Gounder]

not solve the problem for ever, because there is a tendency among the rural people to migrate to the towns.

East Pakistan refugees are pouring into the Calcutta or West Bengal region, but the people from the South and the poor peasants and agricultural labourers from UP also are rushing to Delhi in every train and bus. They come without knowing whether they can get any employment or not. They come with their children, to whom they are not able to give good education. They are not only spoiling the health and atmosphere of this capital city, but they are also spoiling the rural areas. In the rural areas in our parts, there is a very great scarcity of agricultural labour. Even if you are able to pay Rs. 2 or more, there are no workers available. The agricultural labourers have begun to go to cities like Delhi and Bombay.

Therefore, you please put a stop to this migration of labourers from the rural areas, especially from the South to Delhi and other places. Then only you will be able to solve the problem. Otherwise, by spending on constructing more houses you will not solve the problem. Lakhs and lakhs of people are ready to move to Delhi. That will be the biggest problem, which you will have to face. As a remedy for all this, make rural life more attractive, more remunerative, and make town life less attractive, so that it cannot attract more people from the rural areas.

श्री राम सहाय पाण्डेय (गुना) :
उपाध्यक्ष महोदय, स्लम क्लियरेंस बिल में जो संशोधन हमारे मंत्री महोदय ने उपस्थित किये हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। स्लम क्लियरेंस की बड़ी समस्या हमारे देश में है। जैसे तो औद्योगिकरण के साथ साथ यह समस्या सारे विश्व की है। मैं ने विदेशों में बहुत सारे नगर देखे। वहाँ पर भी यह समस्या है, और यह समस्या इस लिए कि जब गावों के

नागरिक काम की खोज में नगरों में जा बसते हैं, उद्योगों में काम करते हैं, तो उन के सामने रहने की ही नहीं, तमाम आवश्यक सुविधायें प्राप्त करने की समस्या होती है। लेकिन मैं ने बहुत से ऐसे नगर भी देखे हैं जो औद्योगिकरण के विकास के साथ साथ रहन सहन की समस्याओं पर भी निश्चित रूप से बड़ा ध्यान रखते हैं। जो ऐसे देश हैं और जो ऐसे देशों में नगर हैं वहाँ स्त्रम्स की समस्या कम है। हमारे यहाँ भी ऐसी भवस्था है। मैं जयपुर शहर का एक उदाहरण देता हूँ। शहर का एक प्लैन बनाया गया, मास्टर प्लैन बनाया गया, उस की स्ट्रीट्स, सड़कें, मकान के डिजाइन तैयार किये गये और एक मकान और दूसरे मकान के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रहे, इस का ध्यान रखा गया। एक अच्छा शहर है बम्बकावले उन शहरों के जहाँ कोई अधिक व्यवस्था न होने के कारण सटे हुए मकान, सड़ी हुई गलियाँ हैं, जहाँ ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे शहर बनाये गये। और क्या, मैं बम्बई का उदाहरण देना चाहता हूँ। देश में बम्बई का एक ऐसा नगर माना जाता है जिस को अर्बंस प्राइमा एन्डीज यानी देश का सब से बड़ा नगर कहा जा सकता है, जहाँ उद्योग बहुत पनपे और बढ़े, लेकिन वहाँ के नागरिकों की स्थिति अगर आप देखें, खास कर जदूरों की, ता आँखों में आंसू आये वगैर नहीं रह सकेगे। इन्ही लिए जिस सिविलाइज्ड वर्ल्ड और सुसंस्कृत समाज और देश की हम कल्पना करते हैं, जहाँ एक समाजवादी व्यवस्था की बात करते हैं, जहाँ हम मानव मात्र के अधिकारों और उन की कल्पना की बात करते हैं वहाँ हम इस बात से कैसे नजरें हटा लेंगे कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। हम कहते तः बहुत सी बातें हैं लेकिन कैसे वह रहते हैं इसे नजरअन्दाज नहीं कर सकते। एक खाली अथवा बमरा १० बाई १० का हंता है, मैं प्रमाणित कर सकता हूँ कि उस में ३०, ३० व्यक्ति रहते

हैं। टट्टी की कोई व्यवस्था नहीं, पानी वहाँ नहीं आता, गलियाँ संकरी हैं, हवा जो प्रकृति की देन है, वह भी नहीं मिलती। पानी की जो व्यवस्था है वह बहुत कम है। घंटे दस घंटे सुबह और घंटे दो घंटे शाम का सिर्फ पानी आता है। नहाने के लिये पानी नहीं मिलता और स्वच्छ हवा की कमी रहती है। दिन में आप किसी मजदूर की खोली में चले जायें आप स्वयम् अपना हाथ नहीं देख सकते, इतना अन्धेरा रहता है। इस का दायित्व आखिर किस पर है। जिस समाज की बात हम करते हैं, जिस सुसंस्कार की बात हम करते हैं, जिस गणराज्य की बात करते हैं, जहाँ हम मानव मात्र के अधिकारों की बात करते हैं, उस के नीचे यह सारी बात हो रही है। मैं समझता हूँ कि इस को सकार ने समझा और महसूस किया कि हमारे स्लम क्लब्स के विकास के मार्ग में जो गलतबरोध पैदा होता है उसे कैसे दूर किया जाये।

इस विधेयक में कुछ सेवशन्स ऐसे हैं जिन में आप ने परिवर्तन किया। इस के लिये मैं आप को बधाई देता हूँ, लेकिन इस से पहले कि मैं सेक्शन्स की तरफ जाऊँ जिन में आप संशोधन करना चाहते हैं मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि देश की सब से बड़ी समस्या को आप हल कैसे करेंगे। जब हमारे प्रधान मंत्री एक बार कानपुर गये थे तो उनको उस अहाते में बुलाया गया जहाँ मजदूर रहते थे। उनको देख कर वे दुखी हुए और थोड़े क्रोधित भी हुए। उन्होंने कहा कि ऐसी एरिया को जहाँ श्रम करने वाला समुदाय रहता है क्यों न भाग लगा दी जाये। यह बात उन की मनःस्थिति को प्रकट करती है कि वह कितने दुखी हुए। एक स्लम क्या, कानपुर में, बम्बई में, कलकत्ते में, ऐसे तमाम बड़े शहरों में जहाँ औद्योगिकरण हुआ है, वहाँ मजदूरों की स्थिति को आप देखें, नागरिकों की स्थिति को देखें तो पंडितजी के कथनानुसार उन को जला देना चाहिये, फेंक देना चाहिये, हटा देना चाहिये, साफ कर देना चाहिये, और अब तक आप यह नहीं करेंगे तब

तक हम जिस स्वस्थ और सुन्दर समाज की कल्पना करते हैं वह कभी स्थापित नहीं हो सकता। एक मजदूर जिस स्थिति में रहता है उस से वह फ्रस्ट्रेट हो जाता है? जिस गन्दी बस्ती में वह रहता है उसे उस काविकास नहीं हो पाता है। मन पर, शरीर पर, बुद्धि पर, उस का असर पड़ता है। इस पर बड़ी रिसर्च हुई है दुनियाँ में कि बच्चे सड़कों के लैम्प पोस्ट्स की बत्तियों को तोड़ते हैं, यह क्या बात है। पता लगा है कि यह बच्चे उन एरियाज रहने वाले हैं जो स्लम एरियाज हैं, वे फ्रस्ट्रेटेड हैं, दुखी हैं। उन के खेलने के साधन नहीं हैं, बिजली का प्रकाश नहीं है, खेलने के लिये खिलौने नहीं हैं, इस से उन में फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों को इस तरह की शरारतें करने में सुख मिलता है। उन को इसी में सुख मिलता है कि वे पब्लिक प्रापर्टी को नुकसान पहुंचायें, बत्तियों को तोड़ें। इस में बड़ी मनोवैज्ञानिक खोज हुई है जिस में ऐसा पाया गया है कि यह वही बच्चे हैं जिन को जीवन में कभी दुलार नहीं मिला, कभी प्यार नहीं मिला, कभी आनन्द नहीं मिला, कभी सुख नहीं मिला, कभी स्वस्थ वातावरण नहीं मिला। इस लिये गन्दी बस्तियों को दूर करने के लिए और अच्छी नागरिकता को मुखरित करने के लिये प्रावधान करने और निश्चित रूप से भागे बढ़ाने का काम बहुत शीघ्र होना चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि क्यों न ऐसा किया जाये जैसे कि खादी के विकास के लिए हम ने सेस लगाया और उस सेस का जितना पैसा इकट्ठा हुआ उस से हम ने खादी को बढ़ाया। क्यों न उद्योगों पर हम एक ऐसा सेस लगायें क्योंकि उन लोगों की कास्ट की पर ही प्रोडक्शन होता है और इंडस्ट्री बढ़ती है। इंडस्ट्री में एक प्रावधान हुआ है लेकिन उस से पहले इंडस्ट्री बढ़ती चली गई फिर भी इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कोई कालोनी नहीं बनी। राउंड अवाउट लोग रहने लगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री पर सेस

[श्री राम सहाय पाण्डेय]

लगाइये और जो पैसा इकट्ठा हो उस से, जैसा आप ने प्रावधान किया और कहीं आप ५० परसेन्ट देते हैं, कहीं साढ़े ३७ परसेन्ट देते हैं, काम को बढ़ाया जाये। आप बहुत पैसा दे रहे हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार की सहायता से यदि आप कल्पना करते हैं कि सारे देश में स्लम क्लियरेंस हो जायेगा, अच्छी बस्तियां बन जायेंगी, तो यह कभी सम्भव नहीं हो सकता। आप के सामने बड़ा भारी काम पड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी योजनाओं में से एक योजना आप ने यह भी रक्खी है, लेकिन जिस कारण से यह गन्दी बस्तियां उत्पन्न होती हैं उस को देखते हुए मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि आप सेस लगाइये और जो पैसा इकट्ठा हो उस से कालोनी बनाइये। केन्द्रीय सरकार पैसा दे, राज्य सरकार दे और सेस का जो पैसा इकट्ठा हो उस से सुन्दर कालोनी बनानी चाहिये और इस प्रकार से उन मजदूरों को बसाया जाये। अब तक लिटिगेशन होता है जिस की लैड सरकार लेना चाहती है उस से उस को लेने में उसे दिक्कत आती है। इस के लिए प्रावधान किया गया है। काम्पिटेंट अथॉरिटी को रख दिया गया है, यह बड़ी अच्छी बात है क्योंकि जो लीगल प्रोसीजर है वह अच्छा काम करने में बाधक होता है। चूँकि हम ने इंडिविजुअल राइट्स की व्यवस्था की है वह गत्यावरोध पैदा करता है। लेकिन जो प्राविजन बना अब, वह ठीक बना। पहले तो जमीन लेने में कठिनाई होती है, अगर जमीन ले ली तो उस जमीन में बने हुए मकान को, गिरने वाले मकान को, सड़ें हुए मकान को टेनेन्ट खाली नहीं करता। इस के लिये आप ने प्रावधान बनाया। तीसरी जो बात की है वह यह कि उन को पड़ोस में कोई जगह दी जाये ताकि जब मकान बन जाये। सो मकान बनने के बाद फिर से आदमी को उसी में बसाया जाये। चौथी बात यह कि मकान निर्माण करना जिन व्यक्तियों के हाथ में है वह यदि मकान न बनायें तो उस के लिए काम्पिटेंट अथॉरिटी आप ने रख दी है।

अगर कोई हीला हवाला हो तो वह इस काम को अपने हाथ में ले ले। इस से यह काम निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा।

जिस तरह से मैं ने सेस लगाने की बात कही उसी प्रकार से इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के युग में आप तब तक इंडस्ट्री को लाइसेंस न दें जब तक स्पष्ट प्रावधान हाउसिंग का इस में न हो जाये। यदि आप की दस करोड़ की कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो तो उस में हाउसिंग का प्राविजन आप निश्चित रूप से रखिये। यदि उस इंडस्ट्रियल कंपिटल में हाउसिंग का प्रबन्ध न हो तो उस का लाइसेंस रिजेक्ट कर दीजिये क्योंकि देश के श्रमजीवी समुदाय के भाग्य के साथ खिलावाड़ नहीं किया जा सकता। जो आप की इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं वे ठीक हैं, स्वागत है उन का, लेकिन जो उत्पादनकर्ता श्रमशील समाज है उस के भाग्य के साथ इस प्रकार खिलावाड़ नहीं हो सकता, इतना ध्यान अवश्य रहे। आज एक एक खोली में ३०, ३० आदमी रहते हैं, उन के लिए न पानी है न संडास है, न स्वच्छ हवा का वातावरण है। मैं समझता हूँ कि इस विधेयक में जो आप ने संशोधन रक्खा है वह इस मार्ग को प्रशस्त करेगा कि जिस में वे तमाम लोग जो स्लम में रहते हैं, गन्दी बस्तियों में रहते हैं वे स्वच्छ और सुन्दर वातावरण पा सकेंगे, और हम उन को अच्छे मकान दे सकेंगे।

इन दो सुझावों के साथ मैं अपना कथन समाप्त करता हूँ।

14.00 hrs.

श्री अशोक लाल बेरना (कोटा) :
उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल आया है इसके बारे में मैं दो चार बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ।

आज तक सरकार ने इस स्लम के प्राबलम पर ऐसा विचार नहीं किया कि इसे कम किया जा सके। इस काम के लिए कुछ

जागरूकता लाने की जरूरत है। इसके सप्ताह मनाए जाने चाहिए। अभी हम देखते हैं कि कुछ हरिजन बस्तियों के लिए सफाई सप्ताह बनाया जाता है और किसी हरिजन को उसके मकान की सफाई के लिए इनाम दे दिया जाता है। लेकिन यह नहीं देखा जाता कि जो उस के आस पास मकान हैं उनको क्या अवस्था है। यह नहीं देखा जाता कि उस बस्ती में नलियों का, पानी का और सफाई आदि का ग्राम तौर पर क्या प्रबन्ध है। अक्सर तो कुछ लोगों को तो म्युनिसिपल आफिस में बुला लिया जाता है और उनको इनाम दे दिया जाता है और कह दिया जाता है कि उनको सफाई के लिए इनाम दिया गया। लेकिन हमने आज तक यह विचार नहीं किया कि ये गन्दी बस्तियाँ पैदा किस प्रकार हो जाती हैं।

गांवों के अन्दर उद्योग घन्घे नहीं होते जिनमें वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। गांवों के लोग जो मेले दशहरे पर शहरों में भाते हैं तो वे यहाँ की चमक दमक को, यहाँ की डामर की सड़कों को, यहाँ की रंग बिरंगी रोशनियों को देख कर प्रभावित हो जाते हैं और उनका दिल भी शहर में आ कर रहने को करने लगता है और वे शहरों में, अपना खेती बाड़ी का काम छोड़ कर, आ जाते हैं और वहाँ उनका जीवन निर्वाह भी किसी प्रकार हो जाता है। उनको गांवों में जहाँ रुपया बारह आना मिलता था वहाँ उनको शहरों में डेढ़ रुपया दो रुपया मिलता है। लेकिन उनके रहने की कोई ठीक व्यवस्था न होने से वे जहाँ तहाँ रहने लगते हैं और इस तरह स्लम पैदा हो जाते हैं। मेरा सुझाव है कि इस चीज को रोकने के लिये सरकार को यह नियम बनाना चाहिए कि किसी भी उद्योग को खोलने का लाइसेंस देने के पहले यह देख लेना चाहिए कि मजदूरों के लिए रहने की व्यवस्था की जाए। जब तक मजदूरों के लिए मकान न बन जायें उस उद्योग को स्टार्ट करने का आर्डर न दिया

जाए। अगर ऐसे उद्योग वाले कुछ क्वार्टर बनाते भी हैं तो वे अपने निजी लोगों को और नौकरों को दे देते हैं। इन में से कुछ लोग फ़ैक्टरी में काम भी करते होते हैं। लेकिन अन्य मजदूरों को क्वार्टर नहीं मिलते। वे इधर उधर झोंपड़ियाँ बना कर रहते हैं। आज यह प्रवृत्ति है कि जो भी उद्योग खोले जाते हैं बड़े शहरों में खोले जाते हैं और ये स्लम बढ़ते जाते हैं। आपने इस काम के लिए जो दस करोड़ रुपया रखा है उससे यह काम नहीं होगा। अगर आप किसी एरिया में दो सौ चार सौ क्वार्टर बनाते हैं और वहाँ नालियों, पानी, सफाई आदि का प्रबन्ध करते हैं, तो कुछ लोग खुशामद करके उनको ले लेते हैं और मजदूर वर्ग रह जाता है। मैंने देखा है कि अनेक इस प्रकार की बस्तियों में मोटर कार वाले लोग रहते हैं जो शराब बनाने के और सोने के ब्लैक आदि के काम यहाँ के लोगों के सहयोग से करते हैं। इस प्रकार के लोग इन बस्तियों का आश्रय लेते हैं। इनको मिटाना चाहिए और इनको मिटाने के लिए यह जरूरी है कि उन गांवों में जो कि शहरों के किनारे पर हैं लघु उद्योग खोले जायें ताकि गांव वाले जो शहरों की रोशनी से चमकृत हो कर शहरों में भाते हैं उनका शहरों में आना रुक जाए और उनको अपने गांवों में ही रोजगार मिल सके। लेकिन हम यह करते हैं कि जहाँ चार फ़ैक्टरियाँ पहले से खुली हैं वहीं पांचवीं और छठी फ़ैक्टरी खोलने का लाइसेंस दे देते हैं। सैठ लोग भी गांवों में नहीं जाना चाहते हैं। वे भी शहरों में अपने कारखाने खोलना चाहते हैं जहाँ वे अपने एजेंटों और मैनेजरोँ की मारफत और इन गरीब लोगों की मारफत ब्लैक कर सकें। इसलिए मेरा सुझाव है कि अगर आपको इन गन्दी बस्तियों को मिटाना है तो आपको गांवों में लघु उद्योग स्थापित करने चाहिए।

इसके अलावा मेरा यह भी सुझाव है कि इस काम को एक प्रचारिणी के हाथ में

[श्री श्रीकार लाल बेरवा].

सौंपना चाहिए। आज हालत यह है कि म्युनिसिपैलिटी, कारपोरेशन और वक्से हाउसिंग मिनिस्ट्री में आपस में इस काम के सिलसिले में झगड़े चलते हैं। अगर एक जमीन दे देता है तो दूसरा मकान नहीं बनने देता, अगर मकान बन जाता है तो दूसरा उसको छाने नहीं देता, अगर उसको छा दिया जाता है तो उस एरिया में रोशनी, पानी, सफाई आदि का प्रबन्ध नहीं किया जाता। इसलिए मेरा सुझाव है कि यह सारा काम एक ही अथॉरिटी के अधीन होना चाहिए जिससे कि यह सुचारु रूप से चल सके।

मैंने देखा है कि अलग अलग अथॉरिटीज के हाथ में काम होने से यह होता है कि कुछ क्वार्टर बन कर तैयार हो गए हैं पर उनमें बिजली और पानी का इन्टिजाम न होने से उनमें कोई नहीं रहता और सरकार को लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। और ये मकान गिरते जा रहे हैं।

मैंने अशोक होटल के पास देखा है कि झुंभी झोंपड़ियों की यह दशा है कि कोई उनमें जा नहीं सकता है। जब सरकार को इनसे चिढ़ आती है तो वह इनको गिराना शुरू कर देती है। वह उनको बिल्कुल नहीं देखना चाहती। अगर सरकार उनको देखना नहीं चाहती तो वहाँ के लोगों को बसाने का उचित प्रबन्ध करे। पहले उनको बसाने के लिए मकान बनाए जाएं, फिर उनको हटाया जाए। आजकल गर्मियों में उनके लिए पानी का उचित प्रबन्ध नहीं है। अब बारिश आवेगी तो नालियां न होने से वहाँ मच्छर पैदा हो जावेंगे। उस अवसर पर बोड़ा सा डी० डी० टी० छिड़क कर कह दिया जाता है कि मच्छर मर गए। तो इस प्रकार काम नहीं चलेगा। हम बंगलों में बैठ कर स्लम साफ करने की योजनायें बनावें तो यह काम नहीं हो सकता। हमको इस काम की या तो स्वयं निगरानी करनी चाहिए

या जिम्मेदार व्यक्तियों को यह काम देना चाहिए जो कि इसको अपना काम समझ कर करें। अगर ऐसा किया जाए तब तो यह काम हो सकता है, वरना यह चलने वाला नहीं है।

आज तो ये गन्दी बस्तियां टी० बी० की बीमारी की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। जितने ज्यादा कारखाने शहरों में खुलेंगे उतने ही ज्यादा गांवों के लोग उनमें काम करने के लिए आवेंगे और उनके रहने की उचित व्यवस्था न होने के कारण वे अपने काम के आस पास झोंपड़ियां बना कर रह जाएंगे। ये मजदूर थर्ड क्लास में भी नहीं आते, न इनको शहर का बाशिन्दगान ही समझा जाता है। इस तरह ये गन्दी बस्तियां बढ़ती जाती हैं।

आज से दस साल पहले गन्दी बस्तियों का इतना बाहुल्य नहीं था। आज दिल्ली में ही ११ या १२ गन्दी बस्तियां हैं, उदाहरण के लिए अशोक होटल के पास, झंडवालान के पास, जंतर मंतर के पास आदि। अगर आप अलग अलग इनकी बस्तियां नहीं बनाना चाहते तो एक जगह इनकी कालोनी बना दीजिये आज ये लोग झोंपड़ियों में बसे हैं, अगर एक में आग लग जाती है तो सारी जल जाती हैं और सरकार समझती है कि चलो एक क्लेश मिटा। उनको दूसरी जगह जमीन भी नहीं दी जाती। उनको बीस बीस पच्चीस पच्चीस रुपया दे देते हैं और फिर वे उसी प्रकार बस जाते हैं। मेरा निवेदन है कि इस तरह से यह काम नहीं चलेगा। और यह समस्या केवल शहर की ही नहीं है। यह समस्या बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, कानपुर आदि सभी बड़े शहरों में है। मुझे डर है कि यह समस्या कोटे में भी पैदा न हो जाए क्योंकि वहाँ कारखाने खुल रहे हैं। वहाँ कर्मचारियों के लिए रहने की व्यवस्था नहीं है और वे नहर

के किनारे टापेरियां ढाल कर रह रहे हैं । न उनके लिए पानी का इन्तिजाम है, वे बिना छना हुआ पानी पीते हैं और वहां पड़े हैं । गवर्नमेंट फ़ैक्टरी बनाने का लाइसेंस दे देती है पर इन लोगों के रहने की व्यवस्था का ध्यान नहीं रखती । अगर कारखाना बनाने के पहले कर्मचारियों को रहने का इन्तिजाम कर दिया जाए तो ये स्लम पैदा ही न होंगे । अगर किसी कारखाने में सौ कर्मचारी काम करने वाले हैं तो पहले उनके लिए क्वार्टर बनाए जाएं, और उनमें लाइट पानी आदि का प्रबन्ध किया जाए और तब कारखाना चालू करने दिया जाए । अगर कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनते भी हैं तो इनमें फ़र्स्ट क्लास के लोग आ कर रहने लगते हैं । हम देखते हैं रेलवे के कर्मचारी नहरों पर आकर रह रहे हैं । ये हरिजन लोग हैं । दिन में फ़ैक्टरियों में काम करते हैं और रात को इन शॉपिङियों में आकर रहते हैं उनके लिए जो क्वार्टर बने हैं वे दूसरों को दे दिये जाते हैं । मेरा निवेदन है कि इन दूसरे लोगों को इन क्वार्टरों से निकाल कर हरिजनों को इनमें बसाया जाना चाहिए । ये लोग डेली वेज्ज को बेसिस पर काम करते हैं । इनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है । अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो कारखाने वालों को इनके लिये रहने को, और पानी तथा लाइट आदि की व्यवस्था करने पर मजबूर किया जाए ।

अन्त में मेरा फिर निवेदन है कि अगर आप स्लम को समाप्त करना चाहते हैं तो गांवों में छोटे उद्योग चालू कीजिए जिससे गांवों के लोग शहरों को न आवें । ज्यादा से ज्यादा छोटे उद्योग गांवों में खोले जाएं जिससे गांवों के लोगों का वहीं जीवन निर्वाह हो सके और उनको शहरों में न आना पड़े ।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा सफाई) संशोधन बिल का मैंने अध्ययन

किया और उसे देखने से मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि यह पुराने अधिनियम का इधर उधर से महज एक कागजी और शाब्दिक बदलाव भर है । इससे क्या लाभ अन्ततोगत्वा होगा यह मेरी समझ में नहीं आता है । आज से कई वर्ष हुए जब महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक दिल्ली में एक तरफ़ झुग्गी शॉपिङियां और गन्दी बस्तियां रहेंगी और दूसरी तरफ़ बड़े बड़े बंगले और अट्टालिकायें बनी रहेंगी तब तक देश का उद्धार शायद न हो सकेगा । आज देश को स्वराज्य प्राप्त हुए १७ साल हो गये लेकिन यह झुग्गी शॉपिङियां और गन्दी बस्तियों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है । ऐसी परिस्थिति में जो विधेयक आया है वह अपनी जगह पर क्या काम करना चाहता है और उससे क्या तरक्की होगी, मेरी समझ में नहीं आता है । मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि उन्हीं झुग्गी शॉपिङियों के मालिकों को एक विशेष अधिकार दिया जा रहा है कि वह उन झुग्गी शॉपिङियों को उन्हीं नोटिफिकेशन्स के अन्दर चाहे बढ़ा दें और चाहे गिरा दें, चाहे मकान बना दें । उनकी सफाई वह नहीं कर सकते । यह तो केवल सरकार कर सकती है । अगर सही मायनों में उन गन्दी बस्तियों और स्लम को दूर करके एक साफ़ आबादी बनाने का गवर्नमेंट का ख्याल हो तो उचित यह था कि उन झुग्गी शॉपिङियों की जमीनों को उन गन्दी बस्तियों को सरकार प्राप्त कर लेती और वहां पर नये ढंग से आबादी बसाती और उनके आवास का प्रबन्ध करती । गन्दी बस्तियों की समस्या तभी हल हो सकती है जब हम अपने वर्तमान व्यवसायिक दृष्टिकोण को बदलें । अभी तक जितने भी नये उद्योग, नई इंडस्ट्रीज अथवा कारखाने प्रारम्भ होते हैं वह मुल्क के सारे भाग में न जाकर केवल शहरों में ही केन्द्रित हो रहे हैं । गांवों की इस बारे में बिल्कुल उपेक्षा की जा रही है । सारे उद्योग, धंधे बड़े बड़े शहरों बम्बई, कलकत्ते, मद्रास और दिल्ली आदि के अन्दर ही केन्द्रित हो रहे हैं और जब वहां पर मजदूर

[श्री सिंहासन सिंह]

वर्ग बहुता है तो उसके साथ ही यह गन्दी बस्तियों और झुग्गी झोंपड़ियों की समस्या भी पैदा हो जाती है। जरूरत इस बात की है कि सरकार अपने व्यवसायिक दृष्टिकोण को बदले और देहातों और रूरल एरियाज़ में भी इन्स्टीज़ लगाये और यदि ऐसा किया गया तो शायद यह प्रॉब्लम हल हो सकती है। बस मुझे इस अवसर पर इससे अधिक और कुछ नहीं कहना है।

Shri Sham Lal Saraf: Mr. Deputy-Speaker, to me it appears that some of our friends have confused the issue of slum clearance, which is an issue in itself quite separate from housing and other things. Therefore, when we take up the question of slum clearance, we should look upon it as a very important social measure, not only from the general point of view of health, sanitation and hygiene but from the point of view of the living conditions in the particular slum areas.

While welcoming this Bill, I would like to submit two or three things. Firstly, the Bill has categorised the persons who will be entitled to get housing or living quarters after these are constructed after the slums are cleared. There are government servants and servants of local bodies. Whether they live permanently in Delhi or not, so long as they serve these bodies or institutions they will get a place to live. Then, there is migratory labour, those who come during migrating seasons, work and live here and when the work is over go elsewhere. Certainly, they must get "rain basera"; they must get a place where they can live till their work is over. Thirdly, there are persons who might be permanent residents of this place who have got no place to live. They may be employees in the private sector or small traders. They must be provided some place to live in.

I would again submit that slum clearance is a very important problem all over the country, more particularly in towns and cities. My hon. Friend, Shri Sharma, referred to slum conditions in villages and panchayat areas. If we want to cover them also, it would mean widening the scope of the Bill too much. At the moment, I would restrict myself to what is obtaining in towns and cities.

When we talk of slum clearance, I would again submit, we should not confuse the issue with the question of housing. It may be that incidentally you may be able to provide living space for some people but, as far as housing itself is concerned, let us treat it as a separate subject, and slum clearance as an absolutely separate subject. What is the condition in slums today? They are most unhygienic, most insanitary, with no or poor light, no ventilation, no street lights, no drainage; nothing of that sort. Therefore, if these areas are to be improved then, certainly, the general hygienic and sanitary conditions not only of particular areas but cities and towns have to be improved. From that point of view, we must give first preference to clearance of slums. Then we can take up the question of housing; it should be taken up separately. Maybe, this will be solved partially by slum clearance. From this point of view, I would very much welcome this Bill as it has been introduced.

In this Bill conditions have been laid down that the owners of buildings have to provide accommodation for tenants who have been permanent tenants. Giving of protection to Tenants is welcome, but here I would like to point out one thing. Suppose a tenant creates nuisance or trouble or behaves in a manner which is not conducive to peaceful living by decent people. Should they be given safeguards? I hope the hon. Minister in his reply will say as to what will be the condition with regard to them.

whether they will be tolerated even at the point of creating nuisance or behaving in a manner which is not conducive to peaceful living. With these words, I support the Bill.

श्री दे० शि० पाटिल (यवतमान) :
उपाध्यक्ष महोदय, गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा सफाई) संशोधन बिल जो कि सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है उस का मैं समर्थन करता हूँ।

14-19 hrs.

[MR. SPEAKER in the Chair]

गन्दी बस्तियों की समस्या जो हर नगर और हर प्रशासन के लिये एक चिन्ताजनक प्रश्न बन गया है उसके तीन कारण हैं

DEMISE OF SHRI JAWAHARLAL NEHRU

The Minister of Steel, Mines and Heavy Engineering (Shri C. Subramaniam): Mr. Speaker, Sir I have very grave news to announce to the House and to the country. The Prime Minister is no more. The light is out.

Mr. Speaker: It is the greatest tragedy that could befall this country at the moment. Let us pray that we prove equal to the occasion. I must, at this time, adjourn the House without saying anything. The House is adjourned to meet again at 11 O'Clock tomorrow*.

14-20 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 29th May 1964/ Jyaistha 8, 1886 (Saka).

*Subsequently the sitting of the House for 28th May, 1964 was cancelled.